पंचायत राज संचालनालय, मध्यप्रदेश

M.P. STATE TECH e-PANCHAYAT SOCIETY (MPSTEPS)
(AN AGENCY OF PANCHAYAT AND RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT)
Regd. Off: O/o Director, Panchayat Raj Directorate,
2nd Floor, Vikas Bhawan, Infront Old Jail, Arera Hills, Bhopal - 462027 MP
Phone No. 0755- 2550651, e-Mail ID :- mpsteps@mp.gov.in

क्र. 262 /पं.ग्रा.वि.वि./MPSTEPS - 33/2025 भोपाल, दिनांक 03 .09.2025

विज्ञप्ति

मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत कार्यालय पंचायत राज संचालनालय, भोपाल में परामर्शी (अधिनियम) के 01 पद पर परामर्शी का नियोजन निर्धारित पारिश्रमिक दर पर किये जाने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

अभ्यर्थी यू.जी.सी. से मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय/ संस्थान से स्नातक होना चाहिये, विधि स्नातक को प्राथमिकता। साथ ही राज्य अथवा केन्द्र शासन की सेवा/राज्य अथवा केन्द्र शासन के किसी उपक्रम/आयोग/मण्डल/निगम में प्रथम श्रेणी अधिकारी के रूप में अधिनियम/नियम/उपविधि निर्माण, संशोधन, विधि/अधिसूचनाओं संबंधी कार्य तथा हिंदी एवं अंग्रेजी ड्राफ्ट निर्माण का न्यूनतम 05 वर्ष का अनुभव होना चाहिये।

परामर्शी की नियुक्ति का कार्यकाल नियुक्ति की तारीख से 01 वर्ष होगा। नियोजित परामर्शी (अधिनियम) अधिकतम 68 वर्ष की आयु तक पद पर रह सकेगा। नियोजित परामर्शी (अधिनियम) को प्रत्येक कैलेण्डर माह में किये गये कार्य अनुसार अधिकतम राशि रू. 1,25,000/- प्रतिमाह के मान से पारिश्रमिक देय होगा। विस्तृत विवरण विभाग की वेबसाईट https://mppanchayatdarpan.gov.in/ पर देखा जा सकता है।

इच्छुक अभ्यर्थी निर्धारित प्रारूप में अपने आवेदन कार्यालय पंचायत राज संचालनालय, द्वितीय तल, विकास भवन, पुरानी जेल के सामने, अरेरा हिल्स भोपाल (म.प्र.) – 462027 में दिनांक 25.09.2025 तक कार्यालयीन समय में व्यक्तिशः अथवा डाक द्वारा जमा कर सकते हैं। निर्धारित दिनांक के पश्चात् आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

संचालक सह-आयुक्त, पंचायतराज
पदेन CEO, MPSTEPS

आवेदन का प्रारूप (1)

परामर्शी (अधिनियम) के पद हेतु आवेदन

	आवेदक का स्व-हस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज फोटो

1. आवेदक का नाम : ....
2. पिता/पति का नाम : ....
3. स्थाई पता : ....
....
....
4. वर्तमान पता : ....
....
....
5. दूरभाष : मोबाईल नंबर .... दूरभाष क्रमांक (..........) ....
6. ई-मेल आईडी : ....
7. जन्मतिथि : ....
8. दिनांक 01.07.2025 की स्थिति में उम्र : .... वर्ष ...... माह .... दिवस
9. राष्ट्रीयता : ....
10. आधार क्रमांक : ....
(स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करें)
11. शैक्षणिक योग्यता :

(अ) शैक्षणिक योग्यता का विवरण :

स.क्र.	परीक्षा का नाम	परीक्षा उत्तीर्ण करने का वर्ष	केंद्र अथवा राज्य शासन से मान्यता प्राप्त बोर्ड / यू.जी.सी. से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय /संस्थान का नाम	प्राप्तांकों का प्रतिशत (अंकसूची/प्रमाण-पत्र की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करे)
1	हाईस्कूल			
2	हायर सेकेन्ड्री			
4	स्नातक			
5	स्नातक (विधि)			
6	स्नातकोत्तर			
7	स्नातकोत्तर (विधि)			
8	अन्य			

(ब) राज्य अथवा केंद्र शासन की सेवा/राज्य अथवा केन्द्र शासन के किसी विभाग/ उपक्रम/आयोग/मण्डल/निगम में प्रथम श्रेणी अधिकारी के रूप में अधिनियम/ नियम/उपविधि निर्माण, संशोधन, विधि/अधिसूचनाओं संबंधी कार्य तथा हिन्दी एवं अंग्रेजी ड्राफ्ट निर्माण के अनुभव का विवरण :

स.क्र.	विभाग/उपक्रम/ आयोग/ मण्डल/ निगम/ का नाम जहां कार्यरत् रहे है	सेवा अवधि (कब से कब तक)	पदनाम	सेवा निवृत्ति का दिनांक	अनुभव प्रमाण-पत्र का क्रमांक एवं दिनांक
1					
2					
3					

(उपरोक्तानुसार कार्य के अनुभव का प्रमाण-पत्र संलग्न करें)

प्रमाणीकरण

1. मैं, परामर्शी (अधिनियम) के रूप में निर्धारित शर्तों के अनुरूप कार्य करने हेतु सक्षम हूं।
2. मेरे द्वारा दिये गये उपरोक्त तथ्य एवं जानकारी मेरे विश्वास एवं ज्ञान अनुसार सही एवं सत्य है।
3. नियुक्ति पश्चात यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी झूठी/गलत पाई जाती है तो मेरे विरूद्ध कार्यवाही की जा सकती है।
4. इस आवेदन के साथ पृष्ठ क्रमांक 01 से ....तक कुल .... पृष्ठ संलग्न किये गये हैं।

स्थान :-..............................

दिनांक :-............................

आवेदक के हस्ताक्षर

टिप्पणियां :-

1. आवेदन के प्रत्येक पृष्ठ को आवेदक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा।
2. योग्यता और अनुभव के स्व- प्रमाणित सहायक दस्तावेज आवेदन के साथ प्रस्तुत किये जाने चाहिए अन्यथा कि स्थिति में आवेदन अस्वीकार किया जायेगा।

परामर्शी (अधिनियम) के पद हेतु प्राप्त आवेदन की प्राप्ति अभिस्वीकृति

(प्राप्ति अभिस्वीकृति क्रमांक .... दिनांक ....)

कुमारी/श्रीमती/श्री/सुश्री .... का आवेदन पत्र प्राप्त हुआ। प्राप्त अभिलेखों का विवरण निम्नानुसार हैं :-

1. निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र
2. जन्म तिथि संबंधी अंकसूची की स्वप्रमाणित प्रति (हाईस्कूल/हायर सेकेन्ड्री)
3. आवेदन सहित कुल पृष्ठ संख्या...........
4. आवेदन प्राप्ति का दिनांक ....

प्राप्तकर्ता का नाम :
पदनाम :
हस्ताक्षर :
सील :

परामर्शी (अधिनियम) के पद संबंधी सेवा - शर्तें एवं अन्य विवरण

1. परामर्शी (अधिनियम) के 02 पदों हेतु नियोजन किया जाना है।
2. परामर्शी की नियुक्ति का कार्यकाल नियुक्ति की तारीख से 01 वर्ष होगा, जिसे कार्य कुशलता एवं कार्य की आवश्यकता अनुसार बढ़ाकर अधिकतम 02 वर्ष के लिये किया जा सकता है। दो वर्ष के पश्चात् परामर्शी की नियुक्ति के लिये वित्त विभाग की सहमति आवश्यक होगी।
3. परामर्शी (अधिनियम) के पद हेतु अभ्यर्थी की योग्यता एवं अनुभव निम्नानुसार निर्धारित किया गया है :-

(अ) यू.जी.सी. से मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय/ संस्थान से स्नातक, विधि स्नातक को प्राथमिकता।
(ब) राज्य अथवा केन्द्र शासन की सेवा/राज्य अथवा केन्द्र शासन के किसी उपक्रम/आयोग/मण्डल/निगम में प्रथम श्रेणी अधिकारी के रूप में अधिनियम/नियम/उपविधि निर्माण, संशोधन, विधि/अधिसूचनाओं संबंधी कार्य तथा हिंदी एवं अंग्रेजी ड्राफ्ट निर्माण का न्यूनतम 05 वर्ष का अनुभव।

4. नियोजित परामर्शी (अधिनियम) अधिकतम 68 वर्ष की आयु तक पद पर रह सकेगा। आयु की गणना हाईस्कूल/ हायर सेकेन्ड्री परीक्षा की अंकसूची में दर्ज जन्मतिथि से की जावेगी। दिनांक 01 जुलाई की स्थिति में।
5. परामर्शी (अधिनियम) को मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 एवं अन्य अधिनियमों संबंधी धाराओं/ नियमों/उपविधियों का पुनरीक्षण एवं निर्माण, संशोधन करने तथा विधिसंबंधी अधिसूचनाओं /अधिनियम के उपबंधो/ नियम/उपनियम संबंधी हिंदी एवं अंग्रेजी ड्राफ्ट बनाने, हिन्दी से अंग्रेजी अनुवाद का कार्य करना होगा। उसे आवश्यकतानुसार अपने कार्य से संबंधित आधारभूत दायित्वों के निर्वहन हेतु वरिष्ठ कार्यालयों, कार्यशालाओं, प्रशिक्षण कार्यक्रमों व बैठकों में विचार-विमर्श हेतु उपस्थित होना होगा।
6. अभ्यर्थी केन्द्र अथवा राज्य शासन के किसी अन्य विभाग/ उपक्रम/आयोग/मण्डल/निगम अथवा अशासकीय संगठन अथवा निजी संस्थान /कंपनी/फर्म आदि में सेवारत् नहीं होना चाहिये।
7. पारिश्रमिक – परामर्शी (अधिनियम) को मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक 111-01/2025/नियम/चार भोपाल, दिनांक 02 मई 2025 के खण्ड - ब की कंडिका - 2 (ब) अनुसार श्रेणी – II हेतु निर्धारित अधिकतम दर (प्रति परामर्शी/ प्रतिवर्ष) रूपये 15.00 लाख (अधिकतम रूपये 1,25,000/- प्रतिमाह) , इसी परिपत्र की कंडिका – 3 में निर्धारित माईलस्टोन के आधार पर पारिश्रमिक का भुगतान किये गये कार्य के आधार पर किया जायेगा। कार्य की गणना निम्नानुसार की जावेगी :-

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की प्रगति (कार्य की गणना कैलेण्डर माह विशेष के लिये की जावेगी)	भुगतान योग्य पारिश्रमिक अधिकतम राशि रू. 1,25,000/- प्रतिमाह के मान से (भुगतान प्रत्येक कैलेण्डर माह में किये गये कार्य अनुसार किया जावेगा)
1	2	3	4
1	मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 एवं अन्य अधिनियमों संबंधी धाराओं/ नियमों/ उपविधियों का पुनरीक्षण एवं निर्माण, संशोधन करने तथा विधि संबंधी अधिसूचनाओं /अधिनियम के उपबंधो/ नियम/ उपनियम संबंधी हिंदी एवं अंग्रेजी ड्राफ्ट बनाने, हिन्दी से अंग्रेजी अनुवाद का कार्य करना होगा।	लक्ष्य का निर्धारण प्रतिमाह किया जावेगा तथा लक्ष्य से संबंधित अंग्रेजी या हिन्दी ड्राफ्ट तैयार करने पर कार्य की पूर्णता 25 प्रतिशत मान्य की जावेगी।	20 प्रतिशत (राशि रू. 25,000/- (पच्चीस हजार मात्र) का पारिश्रमिक भुगतान किया जावेगा।

पुनरीक्षित दिनांक 31.07.2025

2		उपरोक्तानुसार निर्धारित मासिक लक्ष्य अनुसार अंग्रेजी एवं हिन्दी दोनों भाषाओं में ड्राफ्ट तैयार किये जाने, स्टेकहोल्डर से चर्चा किये जाने एवं संचालक, पंचायत राज से अनुमोदन प्राप्त होने पर कार्य की पूर्णता 50 प्रतिशत मान्य की जावेगी।	राशि रू. 25,000/- पच्चीस हजार मात्र का पारिश्रमिक भुगतान किया जावेगा। (इस चरण तक कुल भुगतान 40 प्रतिशत)
3		उपरोक्त लक्ष्य अनुसार कार्यों से संबंधित प्रारूपों का अनुमोदन प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से प्राप्त होने पर कार्य की पूर्णता 100 प्रतिशत मान्य की जावेगी।	राशि रू. 75,000/- पिचहत्तर हजार मात्र का पारिश्रमिक भुगतान किया जावेगा। (इस चरण तक कुल भुगतान 100 प्रतिशत)

8. उपरोक्त के अतिरिक्त उक्त कंडिका 5 में दर्शाये कार्य भी करना होंगे, जिसके लिये पृथक से पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया जावेगा।
9. नियोजित परामर्शी (अधिनियम) को कम्प्यूटर/लैपटॉप स्वयं का उपयोग करना होगा, कम्प्यूटर ऑपरेटर उपलब्ध नहीं कराया जायेगा। कार्य हेतु आवश्यक स्टेशनरी उपलब्ध कराई जावेगी।
10. अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिये, परामर्शी (अधिनियम) को संचालनालय के अधिकारियों से सतत् संपर्क में रहना होगा और आवश्यकता पडने पर समय-समय पर पंचायत राज संचालनालय एवं शासन के अन्य कार्यालयों में उपस्थित होना होगा।
11. पारिश्रमिक के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के भत्ते आदि देय नही होंगे। भ्रमण के दौरान राज्य शासन के द्वितीय श्रेणी अधिकारी के समकक्ष यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता दिया जाएगा व इसी आधार पर आवास व्यवस्था का वास्तविक भुगतान देयक/केशमेमो प्रस्तुत करने पर देय होगा।
12. नियोजित परामर्शी की सेवाएं आवश्यकता न होने पर अथवा अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन पाये जाने पर निर्धारित अवधि के पूर्व विभाग द्वारा समाप्त की जा सकेगी। नियोजित परामर्शी एक माह का पूर्व नोटिस देकर पद त्याग सकेगा।
13. अभ्यर्थी को चयन होने पर विहित समय के भीतर आवेदन के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों का मूल दस्तावेजों से सत्यापन कराना होगा।
14. चयनित आवेदक को 07 दिवस में कार्यालय पंचायत राज संचालनालय, भोपाल में उपस्थिति देना अनिवार्य होगा, अन्यथा नियोजन का आदेश निरस्त माना जावेगा।
15. अभ्यर्थी को अपने अनुभव के संबंध में अधिकतम 30 मिनट का प्रस्तुतीकरण (पावर पॉईंट) चयन समिति के समक्ष करना होगा।
16. परामर्शी बिना सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति/निर्देश के कोई भी सूचना/जानकारी किसी अन्य व्यक्ति/कार्यालय को किसी भी माध्यम से नहीं देगा तथा कार्यालयीन गोपनीयता भंग नहीं करेगा।
17. परामर्शी (अधिनियम) के रिपोर्टिंग अधिकारी संचालक सह-आयुक्त, पंचायत राज संचालनालय, भोपाल रहेंगे।
18. परामर्शी (अधिनियम) को प्रत्येक माह की 05 तारीख तक अपनी मासिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करना होगी।
19. किसी भी विवाद की स्थिति में अंतिम निर्णय प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का होगा।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग